अनुदान संख्या 60 - आवास और शहरी मामले मंत्रालय
GRANT No. 60 - MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*				
मूल	*Original*	*108,70,00*	*117,36,00*	*113,00,15*	*-4,35,85*
पूरक	*Supplementary*	*8,66,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	49268,75,00	51552,74,00	50624,44,92	-928,29,08
पूरक	Supplementary	2283,99,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				715,38,39
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित–	*Charged-*				
मूल	*Original*	*38,02,00*	*39,93,00*	*32,86,47*	*-7,06,53*
पूरक	*Supplementary*	*1,91,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*6,72,00*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	27303,00,00	27303,06,00	26846,36,32	-456,69,68
पूरक	Supplementary	6,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				435,21,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व खंड के *प्रभारित* हिस्से में, समग्र बचतें (*₹435.85 लाख*) दिसंबर, 2022 में प्राप्त *₹866.00 लाख* के अनुपूरक *विनियोजन* का 50 प्रतिशत और कुल स्वीकृत *विनियोजन* का 4 प्रतिशत थी।

2. अनुदान के राजस्व खंड के प्रभारित हिस्से में, समग्र बचतें (₹92880.68 लाख) दिसंबर, 2022 और मार्च, 2023 में प्राप्त ₹228399.00 लाख के अनुपूरक विनियोजन का 41 प्रतिशत और कुल स्वीकृत विनियोजन का 2 प्रतिशत थी।

बचतें/अधिशेष निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings (*₹ 435.85 lakhs*) constituted 50 percent of the supplementary *appropriation* of *₹866.00 lakhs* obtained in December, 2022 and 4 percent of the total sanctioned *appropriation*.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹92880.68 lakhs) constituted 41 percent of the supplementary grants of ₹228399.00 lakhs obtained in December, 2022 and March, 2023 and 2 percent of total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष “2052”	Major Head “2052”				
सचिवालय–सामान्य सेवाएं	Secretariat - General Services				
मू.	O.	12000.00			
पू.	S.	1.00	12261.04	11475.57	-785.47
पु.	R.	260.04			
मुख्य शीर्ष “2058”	Major Head “2058”				
लेखन सामग्री एवं मुद्रण	Stationery and Printing				
मू.	O.	22720.00			
			21154.24	20278.57	-875.67
पु.	R.	-1565.76			
मुख्य शीर्ष “2059”	Major Head “2059”				
लोक निर्माण कार्य	Public Works				
मू.	O.	218117.00			
पू.	S.	2.00	214271.36	211565.80	-2705.56
पु.	R.	-3847.64			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2216"	Major Head "2216"				
आवास	Housing				
मू.	O.	603392.00			
पू.	S.	1.00	1434860.59	1429707.58	-5153.01
पु.	R.	831467.59			
मुख्य शीर्ष "2217"	Major Head "2217"				
शहरी विकास	Urban Development				
मू.	O.	99294.00			
पू.	S.	35091.00	95627.67	85973.47	-9654.20
पु.	R.	-38757.33			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	84404.00			
पू.	S.	1.00	2.68	..	-2.68
पु.	R.	-84402.32			
मुख्य शीर्ष "3475"	Major Head "3475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services				
मू.	O.	22790.00			
पू.	S.	28393.00	42135.70	41534.58	-601.12
पु.	R.	-9047.30			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	3782435.00			
पू.	S.	164910.00	3196479.28	3195640.58	-838.70
पु.	R.	-750865.72			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	81601.00			
			66821.25	66158.24	-663.01
पु.	R.	-14779.75			

(I) बारह शीर्षों के तहत ₹84907.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक अनुपूरक अनुदान सहित) का प्रावधान पूरी तरह अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹84075.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के तहत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :–

(I) Provision of ₹84907.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) remained wholly unutilized under twelve heads; of these ₹84075.00 lakhs accounted for under the Major Head "2552" - under the following heads:-

(का) "शहरी आवास – अन्य अनुदान – प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी)" – ₹41499.50 लाख (₹0.50 लाख की सांकेतिक अनुपूरक अनुदान सहित);

(A) "Urban Housing - Other Grants - Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)" - ₹41499.50 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.50 lakh);

(खा) "अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ – शहरी उन्मुख रोजगार कार्यक्रम – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)" – ₹5644.00 लाख;

(B) "Other General Economic Services - Urban Oriented Employment Programme - National Urban Livelihoods Mission (NULM)" - ₹5644.00 lakhs;

(गा) "केंद्रीय सहायता/शेयर – स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)" – ₹15000.00 लाख;

(C) "Central Assistance/Share - Swachh Bharat Mission (SBM)" - ₹15000.00 lakhs;

(घा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना" –

(D) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(क) "राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)" – ₹1732.00 लाख;

(ख) "प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)" – ₹15099.00 लाख; और

(ङ) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी)" – ₹5100.50 लाख (₹0.50 लाख की सांकेतिक अनुपूरक सहित)।

पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर कार्य करने के लिए कार्यात्मक शीर्षों में आंशिक निधियों/धन के पुनर्विनियोजन और शेष राशि के अभ्यर्पण के कारण उपरोक्त छह शीर्षों के तहत प्रावधान अप्रयुक्त रह गए।

(II) मुख्य शीर्ष "2217" के तहत – "अन्य शहरी विकास योजनाएं – स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता – 100 स्मार्ट शहरों के लिए मिशन" – ₹25621.00 लाख को मूल प्रावधान को ₹35090.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹60711.00 लाख तक बढ़ाया गया था, जो, तथापि, कार्यान्वयन एजेंसियों की कम मांग, कम दौरे, पेशेवरों को काम पर रखने के लिए कम धन की आवश्यकता, अन्य स्थापना संबंधी खर्चों और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कम धन के उपयोग के कारण ₹11268.16 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रह गया।

(III) मुख्य शीर्ष "3475" के तहत – "शहरी उन्मुख रोजगार कार्यक्रम – पीएम–स्वनिधि – स्ट्रीट वेंडर के लिए विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा" – ₹15000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹28393.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹43393.00 लाख तक बढ़ाया गया था जो तथापि, क्रियान्वयन एजेंसियों की ओर से कम मांग, शहरी समृद्धि उत्सव का आयोजन न होने और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम धन की आवश्यकता के कारण ₹2809.61 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रह गया।

(a) "National Urban Livelihoods Mission (NULM)" - ₹1732.00 lakhs;

(b) "Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) - ₹15099.00 lakhs; and

(E) "Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)" - ₹5100.50 lakhs (including token supplementary of ₹0.50 lakh).

Provisions under the above six heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2217" - "Other Urban Development Schemes - Assistance to Local Bodies, Corporations, Urban Development Authorities, Town Improvement Boards etc. - Mission for 100 Smart Cities" - the original provision of ₹25621.00 lakhs was augmented to ₹60711.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹35090.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹11268.16 lakhs - due to less demand from implementing agencies, less tours undertaken, requirement of less funds towards hiring of professionals, other establishment related expenses and utilisation of less funds by implementing agencies.

(III) Under Major Head "3475" - "Urban Oriented Employment Programmes - PM-SVANidhi-Special Micro Credit Facility for Street Vendor" - the original provision of ₹15000.00 lakhs was augmented to ₹43393.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹28393.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹2809.61 lakhs - due to less demand from implementing agencies, non-conduction of Sahari Samriddhi Utsav and requirement of less funds towards National Skill Development

Corporation and other establishment related expenses.

(IV) मुख्य शीर्ष “2052” – “सचिवालय – आवास और शहरी मामले” के तहत – ₹525.43 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक अनुपूरक अनुदान सहित ₹12001.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, कम विदेशी दौरे और अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम धन की आवश्यकता के कारण थी।

(IV) Under Major Head “2052” - “Secretariat - Housing and Urban Affairs” - saving of ₹525.43 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹12001.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to non-filling up of vacant posts, less foreign tours and requirement of less funds towards other establishment related expenses.

(V) मुख्य शीर्ष “2058” के तहत – “सरकारी प्रेस – मुद्रण और मुद्रण प्रेस निदेशालय” – रिक्त पदों को न भरने और अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम धनराशि की आवश्यकता के कारण ₹1708.94 लाख की बचत (₹16275.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई थी।

(V) Under Major Head “2058” - “Government Presses - Directorate of Printing and Printing Presses” - saving of ₹1708.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16275.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards other establishment related expenses.

(VI) मुख्य शीर्ष “2059” के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचत हुई :–

(VI) Under Major Head “2059” - savings occurred under the following heads:-

(का) “कार्यालय भवन – रखरखाव और मरम्मत – कार्य प्रभारित प्रतिष्ठान” – ₹2868.80 लाख की बचत (₹13600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(A) “Office Buildings - Maintenance and Repairs - Work Charged Establishment” - saving of ₹2868.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13600.00 lakhs);

(खा) “अन्य भवन – रखरखाव और मरम्मत – कार्य प्रभारित प्रतिष्ठान” – ₹1809.50 लाख की बचत (₹8000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(B) “Other Buildings - Maintenance and Repairs - Work Charged Establishment” - saving of ₹1809.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8000.00 lakhs); and

(गा) “सामान्य – निदेशन और प्रशासन” –

(C) “General - Direction and Administration” -

(क) “निष्पादन” – ₹1865.93 लाख की बचत (₹6108.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(a) “Execution” - saving of ₹1865.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6108.00 lakhs).

उपरोक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचत रिक्त पदों को न भरे जाने और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण हुई।

Savings under the above three heads were due to non-filling up of vacant posts and non-finalisation of information technology related work.

(ख) "सीपीडब्ल्यूडी स्थापना" – रिक्त पदों को न भरने, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्यों को अंतिम रूप न देने और अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम धन की आवश्यकता के कारण ₹10074.75 लाख (₹119079.60 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) की बचत हुई।

(b) "CPWD Establishment" - saving of ₹10074.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹119079.60 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-finalisation of information technology related work and requirement of less funds towards other establishment related expenses.

(VII) मुख्य शीर्ष "2216" के अंतर्गत – बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :–

(VII) Under Major Head "2216" - savings occurred under the following heads:-

(का) "सामान्य पूल आवास" –

(A) "General Pool Accommodation" -

(क) "रखरखाव और मरम्मत – कार्य प्रभारित प्रतिष्ठान" – रिक्त पदों को न भरने और वेतन और भत्तों के लिए कम धनराशि की आवश्यकता के कारण ₹3141.86 लाख (₹14200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) की बचत हुई।

(a) "Maintenance and Repairs - Work Charged Establishment" - saving of ₹3141.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14200.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards pay and allowances.

(ख) "अन्य व्यय – संपदा निदेशालय" – ₹800.95 लाख की बचत (₹6995.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, वेतन और भत्ते के लिए कम धन की आवश्यकता और अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के कारण थी।

(b) "Other Expenditure - Directorate of Estates" - saving of ₹800.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6995.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards pay and allowance and other establishment related expenses.

(खा) "अन्य आवास – रखरखाव और मरम्मत – कार्य प्रभारित प्रतिष्ठान" – ₹2056.14 लाख की बचत (₹6000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने और वेतन और भत्तों के लिए कम धन की आवश्यकता के कारण थी।

(B) "Other Housing - Maintenance and Repairs - Work Charged Establishment" - saving of ₹2056.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6000.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards pay and allowances.

(VIII) मुख्य शीर्ष "2217" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचत हुई :–

(VIII) Under Major Head "2217" - savings occurred under the following heads:-

(का) "अन्य शहरी विकास योजनाएँ" –

(A) "Other Urban Development Schemes" -

(क) "निदेशन और प्रशासन – स्वच्छ भारत मिशन" – ₹14214.71 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक अनुपूरक अनुदान सहित ₹18498.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापन और प्रचार व्यय के लिए कम धनराशि की आवश्यकता, केंद्र शासित प्रदेशों से पर्याप्त प्रस्तावों की गैर– प्राप्ति और धन जारी करने के लिए अनिवार्य प्रक्रिया का पालन न करने के कारण हुई।

(a) "Direction and Administration - Swachh Bharat Mission" - saving of ₹14214.71 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹18498.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to requirement of less funds towards advertisement and publicity expenses, non-receipt of sufficient proposals from UTs and non-compliance of mandatory process for release of funds.

(ख) "स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता – शहरी कायाकल्प मिशन–500 बस्तियां (अमृत)" – ₹24513.53 लाख की बचत (₹33800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियां से कम मांग, किए गए कम दौरे और पेशेवरों को काम पर रखने और अन्य प्रतिष्ठानों से संबंधित खर्चों के लिए कम धन की आवश्यकता के कारण हुई।

(b) "Assistance to Local Bodies, Corporations, Urban Development Authorities, Town Improvement Boards etc. - Urban Rejuvenation Mission-500 Habitations (AMRUT)" - saving of ₹24513.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹33800.00 lakhs) was due to less demand from implementing agencies, less tours undertaken and requirement of less funds towards hiring of professionals and other establishments related expenses.

(खा) "सामान्य–निदेशन और प्रशासन – शहरी परिवहन योजना और शहरी परिवहन (घरेलू स्रोत) में क्षमता निर्माण" – ₹2791.21 लाख की बचत (₹3500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों की कम मांग और पेशेवरों की नियुक्ति और अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम धन की आवश्यकता के कारण थी।

(B) "General -Direction and Administration - Urban Transport Planning and Capacity Building in Urban Transport (Domestic Sources)" - saving of ₹2791.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs) was due to less demand from implementing agencies and requirement of less funds towards hiring of professionals and other establishment related expenses.

(IX) मुख्य शीर्ष "3475" के तहत – "शहरी उन्मुख रोजगार कार्यक्रम–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)" – ₹6837.81 लाख की बचत (₹7789.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों की कम मांग, शहरी समृद्धि उत्सव का गैर–आयोजन और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम धन की आवश्यकता के कारण थी।

(IX) Under Major Head "3475" - "Urban Oriented Employment Programmes - National Urban Livelihoods Mission (NULM)" - saving of ₹6837.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7789.00 lakhs) was due to less demand from implementing agencies, non-conduction of Sahari Samriddhi Utsav and requirement of less funds towards National Skill Development Corporation and other establishment related expenses.

(X) मुख्य शीर्ष "3601" के तहत – "केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं" – निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचत हुई :–

(का) "केंद्रीय सहायता / शेयर" –

(क) "स्वच्छ भारत मिशन" – ₹1715.11 लाख की बचत (₹185003.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) धन जारी करने के लिए अनिवार्य सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली निर्देशों का अनुपालन न करने और कुछ राज्य सरकारों द्वारा घाटे की शेष राशि का भुगतान न करने के कारण हुई।

(ख) "प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)" – ₹841978.32 लाख की बचत (₹1944607.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली की एकल एजेंसी मॉडल के तहत पूर्व शर्तों को पूरा न करने के कारण क्षमता निर्माण गतिविधियों के तहत केंद्रीय सहायता जारी न होने के कारण हुई।

(ग) "शहरी कायाकल्प मिशन – 500 बस्तियां (अमृत)" – ₹67805.54 लाख की बचत (₹668540.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(घ) "राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)" – ₹14505.81 लाख की बचत (₹52884.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)" – ₹4697.00 लाख की बचत (₹16472.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)" – ₹869.91 लाख की बचत (₹3149.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(X) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Central Assistance/Share" -

(a) "Swachh Bharat Mission" - saving of ₹1715.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹185003.00 lakhs) was due to non-compliance of the mandatory Public Financial Management System instructions for releases of funds and non-clearance of deficit balances by some State Governments.

(b) "Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)" - saving of ₹841978.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1944607.00 lakhs) was due to non-release of central assistance under capacity building activities owing to non-fulfilling of pre-conditions under Single Nodal Agency model of Public Finance Management System.

(c) "Urban Rejuvenation Mission - 500 Habitations (AMRUT)" - saving of ₹67805.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹668540.00 lakhs);

(d) "National Urban Livelihoods Mission (NULM)" - saving of ₹14505.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹52884.00 lakhs);

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - National Urban Livelihoods Mission (NULM)" - saving of ₹4697.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16472.00 lakhs); and

(C) "Tribal Area Sub-Plan - National Urban Livelihoods Mission (NULM)" - saving of ₹896.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3149.00 lakhs).

उपरोक्त चार शीर्षों के तहत बचत वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान में कमी और धन जारी करने की सीमा से संबंधित दिशा–निर्देश के अनुपालन के कारण धन जारी न करने के कारण थी।

Savings under the above four heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and non-release of funds owing to compliance of the guideline related to ceiling of releases of funds.

(XI) मुख्य शीर्ष "3602" के अंतर्गत – "केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं – केंद्रीय सहायता / शेयर" – बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :–

(XI) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/ Share" - savings occurred under the following heads:-

(का) "स्वच्छ भारत मिशन" – ₹5621.40 लाख की बचत (₹11500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान में कमी और निधि जारी करने के लिए अनिवार्य सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली निर्देशों का अनुपालन न करने के कारण हुई।

(A) "Swachh Bharat Mission" - saving of ₹5621.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11500.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and non-compliance of mandatory Public Financial Management System instructions for release of funds.

(खा) "100 स्मार्ट शहरों के लिए मिशन" – जम्मू, श्रीनगर, पुडुचेरी और नई दिल्ली नगर समिति स्मार्ट शहरों में चल रही परियोजनाओं पर कम मांग के कारण ₹22801.00 लाख (₹32601.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) की बचत हुई।

(B) "Mission for 100 Smart Cities" - saving of ₹22801.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹32601.00 lakhs) was due to less demand on ongoing projects in Jammu, Srinagar, Puduchery and New Delhi Municipal Committee smart cities.

(XII) चार शीर्षों के तहत ₹1417.57 लाख की बचत हुई, जिनमें से प्रत्येक ₹250.00 लाख से अधिक थी, लेकिन ₹500.00 लाख से अधिक नहीं थी और स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत से 36 प्रतिशत थी।

(XII) Under four heads savings of ₹1417.57 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 14 percent to 36 percent of the sanctioned provision.

3.(I) उपरोक्त बचत का आंशिक रूप से (₹845046.98 लाख) उपयोग पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए किया गया था, निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के तहत ₹35092.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले से ही सूचित कर दिया गया था :–

3.(I) The above savings were partly (₹845046.98 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grants of ₹35092.00 lakhs under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2216" – "शहरी आवास – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता – प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी)" – ₹817659.39 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹813800.59 लाख था।

(A) Major Head "2216" - "Urban Housing - Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)" - ₹817659.39 lakhs. Actual excess, however, was ₹813800.59 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "2217" – "सामान्य – निदेशन और प्रशासन – कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड को अनुदान" – ₹4674.00 लाख ;

(B) Major Head "2217" - "General - Direction and Administration - Grants to Kochi Metro Rail Ltd." - ₹4674.00 lakhs

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – शहरी आवास – अन्य अनुदान" – ₹22713.59 लाख। तथापि, वास्तविक आधिक व्यय ₹22712.98 लाख था।

(C) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Tribal Area Sub-Plan - Urban Housing - Other Grants" - ₹22713.59 lakhs. Actual excess, however, was ₹22712.98 lakhs.

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बचत की भरपाई भी अधिक व्यय से की गई :–

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2059" के तहत – "कार्यालय भवन" – निम्नलिखित शीर्षों के तहत अधिक व्यय हुआ :–

(A) Under Major Head "2059" - "Office Buildings" - excess occurred under the following heads:-

(क) "निर्माण – भवन" – मेट्रो शहरों में कार्यालय भवनों के रखरखाव के लिए लंबित बिलों की मंजूरी के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता के कारण ₹1492.29 लाख (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधानकी तुलना में) का अधिक व्यय था।

(a) "Construction - Buildings" - excess of ₹1492.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards clearance of pending bills for maintenance of office buildings in metro cities.

(ख) "रखरखाव और मरम्मत – अन्य रखरखाव व्यय" – मेट्रो शहरों में कार्यालय भवनों के रखरखाव के लिए लंबित बिलों की मंजूरी के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता के कारण ₹4802.36 लाख का अधिक व्यय (₹23100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) था।

(b) "Maintenance and Repairs - Other Maintenance Expenditure" - excess of ₹4802.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23100.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards clearance of pending bills for maintenance of office buildings in metro cities.

(ग) "पट्टा शुल्क – स्थानीय निकायों को किराए, दरों और करों का भुगतान आदि" – ₹3774.01 लाख का अधिक व्यय (₹26808.70 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सामान्य पूल कार्यालय आवास भवनों के लिए नई दिल्ली नगर परिषद / दक्षिण दिल्ली नगर निगम को लंबित सेवा शुल्क और बॉम्बे सबऊर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई को बिजली शुल्क के भुगतान के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण था।

(c) "Lease Charges - Payments of Rent, Rates and Taxes to Local bodies etc." - excess of ₹3774.01 lakhs (against the sanction provision of ₹26808.70 lakhs) was due to requirement of additional funds towards payment of pending service charges to New Delhi Municipal Corporation/South Delhi Municipal Corporation for General Pool Office Accommodation buildings and electricity charges to Bombay Suburban Electric Supply.

(खा) मुख्य शीर्ष "2216" के तहत – "सामान्य पूल आवास" – निम्नलिखित शीर्षों के तहत अधिक व्यय हुआ :–

(B) Under Major Head "2216" - "General Pool Accommodation" - excess occurred under the following heads:-

(क) "रखरखाव और मरम्मत – अन्य रखरखाव व्यय" – ₹12468.46 लाख का अधिक व्यय (₹45618.92 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लंबित देनदारियों की मंजूरी और कार्यालय भवनों और सामान्य पूल आवासीय आवास के रखरखाव के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता के कारण था।

(a) "Maintenance and Repairs - Other Maintenance Expenditure" - excess of ₹12468.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹45618.92 lakhs) was due to requirement of additional funds towards clearance of pending liabilities and maintenance of office buildings and General Pool Residential Accommodation.

(ख) "अन्य व्यय – भवन–पट्टाशुल्क" – ₹6821.75 लाख का अधिक व्यय (₹22591.08 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सामान्य पूल आवासीय आवास भवनों के लिए नई दिल्ली नगर निगम/दक्षिण दिल्ली नगर निगम को लंबित सेवा शुल्क के भुगतान के लिए और बिजली के लिए बॉम्बे सबऊर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई को शुल्क हेतु अतिरिक्त धन की आवश्यकता के कारण था।

(b) "Other Expenditure - Buildings-Lease Charges" - excess of ₹6821.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22591.08 lakhs) was due to requirement of additional funds towards payment of pending service charges to New Delhi Municipal Corporation/South Delhi Municipal Corporation for General Pool Residential Accommodation buildings and electricity charges to Bombay Suburban Electric Supply.

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" के अंतर्गत – "केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं" –

(C) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" -

(क) "100 स्मार्ट शहरों के लिए केंद्रीय सहायता/शेयर–मिशन" – ₹25433.69 लाख का अधिक व्यय (₹164910.00 लाख के अनुपूरक अनुदान सहित ₹786688.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चल रही परियोजनाएं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता के कारण था।

(a) "Central Assistance/Share -Mission for 100 Smart Cities" - excess of ₹25433.69 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹786688.00 lakhs including supplementary grant of ₹164910.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards completion of ongoing projects under Smart City Mission.

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – शहरी आवास–अन्य अनुदान" – ₹131747.60 लाख का अधिशेष (₹220001.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर कार्य करने के लिए और प्रधान मंत्री आवास योजना (यू) योजना के तहत केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता की वजह से मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में निधियों

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Urban Housing-Other Grants" - excess of ₹131747.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹220001.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds towards

के पुनर्विनियोजन के कारण था।

release of Central Assistance under Pradhan Mantri Awas Yojana (U) Scheme .

(घा) मुख्य शीर्ष “3602” के तहत – “केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं” – निम्नलिखित शीर्षों के तहत अधिक व्यय हुआ :–

(D) Under Major Head “3602” - “Centrally Sponsored Schemes” - excess occurred under the followings heads:-

(क) “केंद्रीय सहायता/शेयर – शहरी कायाकल्प मिशन – 500 बस्तियां (अमृत)” – ₹12307.19 लाख का अधिशेष (₹28000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार को परियोजना निधि जारी करने के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण था।

(a) “Central Assistance/Share - Urban Rejuvenation Mission - 500 Habitations (AMRUT)” - excess of ₹12307.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹28000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards releases of project fund to the Government of National Capital Territory of Delhi.

(ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)” – ₹1295.60 लाख का अधिक व्यय (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी सरकार द्वारा योजना के तहत अनुपालन के कारण केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता के कारण था।

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)” - excess of ₹1295.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards release of Central Assistance by the UT Government of Puducherry to owing compliance achieved under the Scheme.

(III) दो शीर्षों के तहत ₹731.30 लाख का अधिशेष हुआ, प्रत्येक मद ₹250.00 लाख से अधिक था और स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत और 46 प्रतिशत था।

(III) Under two heads excess of ₹731.30 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 18 percent and 46 percent of the sanctioned provision.

4. अनुदान के पूंजीगत खंड के *प्रभारित* भाग में, कुल बचत (*₹706.53 लाख*) दिसंबर, 2022 में प्राप्त *₹191.00 लाख* के पूरक *विनियोग* से अधिक हो गई और कुल स्वीकृत *विनियोग* का 18 प्रतिशत थी।

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, the overall savings (*₹ 706.53 lakhs*) exceeded the supplementary *appropriation* of *₹ 191.00 lakhs* obtained in December, 2022 and constituted 18 percent of total sanctioned *appropriation.*

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई :–

Saving occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"				
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing				
मू.	*O.*	*3702.00*			
पू.	*S.*	191.00	*3306.00*	*3271.47*	*-34.53*
पु.	*R.*	*-587.00*			

(I) "सरकारी आवासीय भवन – अन्य आवास – राष्ट्रपति संपदा" के तहत – *₹3502.00 लाख* के मूल *विनियोग* को *₹191.00 लाख* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके *₹3693.00 लाख* तक बढ़ाया गया था। तथापि, योजनाबद्ध कार्यों को धीमी गति से करने के कारण *₹483.46 लाख* की बचत हुई (पूरक *विनियोग* सहित)।

(I) Under "Government Residential Buildings - Other Housing - President's Estates" - the original *appropriation* of *₹3502.00 lakhs* was augmented to *₹ 3693.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *₹191.00 lakhs*. However, there was a saving of *₹ 483.46 lakhs* (including supplementary *appropriation*) - due to slow pace in execution of planned works.

5. अनुदान के पूंजीगत अनुभाग के स्वीकृत भाग में, निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के तहत बचत/अधिशेष हुई/हुआ :–

5. In the voted portion of capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

मुख्य शीर्ष "4058"	Major Head "4058"				
लेखन–सामग्री और मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Stationery and Printing				
मू.	O.	7500.00	1600.00	119.85	-1480.15
पु.	R.	-5900.00			
मुख्य शीर्ष "4059"	Major Head "4059"				
लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	259711.00			
पू.	S.	2.00	235616.00	235181.66	-434.34
पु.	R.	-24097.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"				
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	83600.00			
पू.	S.	2.00	104030.00	103803.50	-226.50
पु.	R.	20428.00			
मुख्य शीर्ष "4217"	Major Head "4217"				
शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Urban Development				
मू.	O.	373200.00			
पू.	S.	2.00	679932.00	679931.00	-1.00
पु.	R.	306730.00			
मुख्य शीर्ष "6217"	Major Head "6217"				
शहरी विकास के लिए कर्ज	Loans for Urban Development				
मू.	O.	2006000.00			
			1665413.00	1665413.00	..
पु.	R.	-340587.00			

(I) ₹4001.50 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) तीन शीर्षों के तहत पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹4000.50 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत आते हैं :–

(I) Provision of ₹4001.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.50 lakhs obtained in December, 2022) remained wholly unutilized under three heads; of these ₹4000.50 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4217" – "अन्य शहरी विकास योजनायें – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश – हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एचपीआईएल)" – ₹3000.50 लाख – वरीयता शेयर से संबंधित निबंधन एवं शर्तों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण।

(A) Major Head "4217" - "Other Urban Development Schemes - Investments in Public Sector and other Undertakings - Hemisphere Properties India Limited (HPIL)" - ₹3000.50 lakhs - due to non-finalisation of process of term and conditions relating to preference share.

(खा) मुख्य शीर्ष “6217” – “अन्य शहरी विकास योजना – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण – हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एचपीआईएल)” – ₹1000.00 लाख – कंपनी के लैंड पार्सल की म्यूटेशन प्रक्रिया पूरी न हो पाने के कारण

(II) मुख्य शीर्ष “4058” के तहत – “सरकारी प्रेस – प्रिंटिंग प्रेस” – मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए वैश्विक निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण ₹7380.15 लाख (₹7500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) की बचत हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “4059” के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचत हुई :–

(का) “कार्यालय भवन – निर्माण – भवन” – ₹34173.47 लाख की बचत (₹183900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(खा) “सामान्य – निर्माण – खान” – ₹2298.80 लाख की बचत (₹5500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के तहत बचतें एक्जीयूटिव एन्कलेव का ठेका देने में विलंब, अधिकारियों से पर्यावरणीय मंजूरी न मिलने के कारण परियोजनाओं के तहत कम मांग और ग्राहक विभाग द्वारा आवश्यकताओं में बदलाव के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “4217” के तहत – “अन्य शहरी विकास योजनाएं – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश – एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाएं” – ₹10525.50 लाख की बचत (दिसंबर, 2022 में ₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹370200.50 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); बाह्य निधियन एजेंसियों के साथ ऋण करार पर हस्ताक्षर न होने के कारण इंदौर और पटना मेट्रो रेल परियोजना से कम धनराशि की मांग के कारण।

(B) Major Head “6217” - “Other Urban Development Schemes - Loans to Public Sector and other Undertakings - Hemisphere Properties India Limited (HPIL)” - ₹1000.00 lakhs - due to non-completion of process for mutation of land parcels of the company.

(II) Under Major Head “4058” - “Government Presses - Printing Presses” - saving of ₹7380.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7500.00 lakhs) was due to non-finalisation of Global Tender for procurement of Machinery and Equipment.

(III) Under Major Head “4059” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Office Buildings - Construction - Buildings” - saving of ₹34173.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹183900.00 lakhs); and

(B) “General - Construction - Mines” - saving of ₹2298.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5500.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to delay in award of contract for Executive Enclave, less demand under the projects owing to non-receipt of environmental clearances from authorities and change in requirements by client department.

(IV) Under Major Head “4217” - “Other Urban Development Schemes - Investments in Public Sector and other Undertakings - MRTS and Metro Projects” - saving of ₹10525.50 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹370200.50 lakhs including token supplementary grant of ₹0.50 lakh obtained in December, 2022) was due to less demand of funds from Indore and Patna Metro Rail Project owing to non-signing of loan agreement with external funding agencies.

(V) मुख्य शीर्ष "6217" के अंतर्गत – "अन्य शहरी विकास योजनाएं – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण – एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाएं" – ₹339587.00 लाख की बचत (₹1542800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पटना और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के साथ ऋण की असहमति के कारण।

(V) Under Major Head "6217" - "Other Urban Development Schemes - Loans to Public Sector and other Undertakings - MRTS and Metro Projects" - saving of ₹339587.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1542800.00 lakhs) was due to non-agreement of loan for Patna and Indore Metro rail projects.

6.(I) उपरोक्त बचत का आंशिक रूप से (₹352782.00 लाख) उपयोग पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए किया गया था, निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के तहत दिसंबर, 2022 और मार्च, 2023 में ₹5.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित किया गया था :–

6.(I) The above savings were partly (₹352782.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grants of ₹5.00 lakhs in December, 2022 and March, 2023 under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4059" – "सामान्य – निर्माण – अन्य मंत्रालयों / विभागों के कार्यालय भवन" – ₹12099.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिशेष ₹11942.16 लाख था।

(A) Major Head "4059" - "General - Construction - Office Building of Other Ministries/ Departments" - ₹12099.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹11942.16 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "4216" – "सरकारी आवासीय भवन" –

(B) Major Head "4216" - "Government Residential Buildings" -

(क) "सामान्य पूल आवास – शहरी विकास – निर्माण" – ₹19428.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिशेष ₹19263.63 लाख था।

(a) "General Pool Accommodation - Urban Development - Construction" - ₹19428.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹19263.63 lakhs.

(ख) "अन्य आवास – आवास" – ₹1000.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिशेष ₹937.87 लाख था।

(b) "Other Housing - Housing" - ₹1000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹937.87 lakhs.

(गा) मुख्य शीर्ष "4217" – "अन्य शहरी विकास स्कीमें – आरक्षित निधि / जमा खातों को अंतरण – सॉबरेन ग्रीन फंड – एम आर टी एस और मेट्रो परियोजना" – ₹320255.00 लाख।

(C) Major Head "4217" - "Other Urban Development Schemers - Transfer to Reserve Funds/Deposit Accounts - Sovereign Green Fund - MRTS and Metro Projects" - ₹320255.00 lakhs.

7. सरकारी गैर–वाणिज्यिक विभाग की मूल्यह्रास आरक्षित निधि :–

7. Depreciation Reserve Fund of Government Non-commercial department:-

संयंत्र, मशीनरी और फर्नीचर के नवीकरण और प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त आरक्षित निधि प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक प्रक्रिया

Depreciation Reserve Fund of Government (Non-commercial department) was constituted for introducing the commercial practice to provide a

शुरू करने के लिए सरकार (गैर–वाणिज्यिक विभाग) के मूल्यह्रास रिजर्व फंड का गठन किया गया था ताकि प्रेस को स्वचालित रूप से एक कुशल काम की स्थिति में रखा जा सके। मूल्यह्रास की गणना उन परिसंपत्तियों के मूल्य पर की जाती है जिनका उपयोग प्रेस के आउट–टर्न उत्पादन में किया गया था। तदनुसार, फंड में सामान्य टूट–फूट से खर्च की गई पूंजी को बदलने के लिए पर्याप्त धनराशि होगी। निधि को सरकारी खातों में जमा राशि के रूप में माना जाएगा और निधि के कारण प्राप्तियां प्रत्येक वित्तीय वर्ष के खातों के बंद होने से तुरंत पहले वर्ष के दौरान गणना की गई मूल्यह्रास की वास्तविक राशि के आधार पर जमा की जाएंगी। विभाग की सूचना के आधार पर बजट का प्रावधान किया जाता है।

sufficient reserve fund to meet the required cost for renewal and replacement of plant, machinery and furniture so that the Press may be kept automatically in an efficient working condition. Depreciation is calculated on the value of assets which had been used in producing the outturn of the Press. The Fund will accordingly contain an amount of money sufficient to replace the capital consumed by normal wear and tear. The Fund shall be treated as a deposit in the Government accounts and receipts due to the Fund shall be credited immediately prior to the closing of the accounts of each financial year on the basis of the actual amount of depreciation worked out during the year. Budget provision is made on the basis of intimation from the Department.

सरकारी मुद्रणालयों में मूल्यह्रास निधि नियमावली के नियम 4 के अनुसार, समय–समय पर शेष राशि पर ब्याज इस तथ्य के कारण निधि में जमा नहीं किया जाएगा कि सरकारी मुद्रणालयों में लागत प्रणाली में ब्याज की गणना शामिल है, न कि मूल पूंजीगत मूल्य पर, बल्कि केवल मूल्यह्रासित पूंजी मूल्य पर। इसके अलावा उक्त नियमावली के नियम 6 के अनुसार, निधि से व्यय का हिसाब पहली बार में उचित विस्तृत शीर्ष के तहत किया जाना चाहिए और वर्ष के अंत में एक समतुल्य राशि जमा शीर्ष मूल्यह्रास निधि से विस्तृत शीर्ष में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

As per Rule 4 of Rules for the Depreciation Fund in Government Presses, interest on the balances in hand from time to time will not be credited to the fund owing to the fact that the costing system in Government Presses includes a calculation of interest, not on the original capital value, but on the depreciated capital value only. Further as per Rule 6 of the said Rules, Expenditure from the Fund must be accounted for in the first instance under the appropriate detailed head and at the end of the year an equivalent sum will be transferred from the Deposit Head Depreciation Fund to the detailed head.

वर्ष 2022–2023 के लिए सरकार (गैर–वाणिज्यिक विभाग) के मूल्यह्रास आरक्षित निधि का लेखा इस प्रकार था :–

The Account of Depreciation Reserve Fund of Government (Non-commercial department) for 2022-2023 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	49,38,64
प्राप्तियां	Receipt	1,86,19
अदायगियां	Payments	..
अंतशेष	Closing Balance	51,24,83